FORM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

ज अदालत .... मुकाम ....

नारायण सिंह बनाम राम सिंह

करम मुकदमा .... नं. 37/12 .... सन् ....

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
7/11/19	पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली मे कार्य व्यस्तता के कारण आदेश लिखाया नहीं जा सका है। पत्रावली अब वास्ते आदेश दिनांक 21/11/2019 को पेश हो। (initials)	
21/11/19	पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष उपस्थित। P.O. के दौरे मे पधारे होने से पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 25/11/2019 को पेश हो। (initials)	
25/11/19.	पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष उपस्थित। कार्य व्यस्तता के चलते आदेश लिखाया नहीं जा सका पत्रावली अब वास्ते आदेश दिनांक 2/12/19 को पेश हो। (initials)	
2/12/19	पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली मे मजीद बहस सुनी गई, पत्रावली अब वास्ते आदेश दिनांक 5/12/19 को पेश हो। (initials)	
5/12/19	पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थना पत्र 37/12 एवं 165/15 मे वाद निस्तारण तक रेकर्ड की सहायिता बनाये रखी। विस्तृत निर्णय लिखाया जाकर पत्रावली फैसल-शुमार होकर संबंधित कार्य हो। (signature) 6/12/19	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

DATA(F)/Inspection Section From January,2014/INPECTION FORMET RGDPS@RTH 2019

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ राज॰

पीठासीन अधिकारी रमेश सीरवी पुनाड़िया (आर.ए.एस.)

प्रार्थना-पत्र संख्या : 37/2012

1- नारायणसिंह पिता लक्ष्मणसिंह राजपूत निवासी चैनपुरिया तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ

---------- प्रार्थी

बनाम

1- रामसिंह पिता दौलतसिंह राजपूत निवासी किला बेगूँ तहसील बेगूं

2- मोहनसिंह पिता दौलतसिंह राजपूत निवसी बेगूँ (मृतक के बजाय)

2/1- नारायणसिंह पिता स्व0मोहनसिंह राजपूत निवासी किला बेगूँ

2/2- भारतसिंह पिता स्व0मोहनसिंह राजपूत निवासी किला बेगूँ

2/3 - महेन्द्रसिंह पिता स्व0 मोहनसिंह राजपूत निवासी किला बेगूँ

2/4 - गुमानकंवर पति स्व0 मोहनसिंह राजपूत निवासी किला बेगूँ

3- मोखमसिंह पिता दौलतसिंह राजपूत निवासी बेगूँ के बजाय

3/1 - भंवरकंवर पत्नी स्व0 मोखमसिंह राजपूत निवासी सुवाणिया

3/2 - नारायणसिंह पिता स्व0 मोखमसिंह राजपूत निवासी सुवाणिया

3/3- धन्ना कंवर पुत्री स्व0 स्व0 मोखमसिंह राजपूत निवासी सुवाणिया

4- किशन कंवर पुत्री दौलतसिंह राजपूत निवासी हाल मुकाम पति कल्याणसिंह निवासी जान्दोलिया तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ राज॰

---------- अप्रार्थीगण

उपस्थित :
सी.पी. शर्मा
अधिवक्ता प्रार्थी
के.सी.मंत्री
अधिवक्ता अप्रार्थीगण

आदेश दिनांक 05 दिसम्बर, 2019

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अधिवक्ता श्री सी. पी. शर्मा द्वारा पेश किया गया जिसके सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि- उक्त उनवान के सम्बन्ध में एक वादपत्र अन्तर्गत धार 88 आ.टी.ए. के तहत न्यायालय श्रीमान आप के समक्ष वादी/प्रार्थी द्वारा विपक्षी/प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्य इतने ठेस एवं सत्याधारित है जो अवश्य ही वादी/ प्रार्थी के पक्ष में निर्णित होगा लेकिन मूल वाद के अंतिम निस्तारण में समय लगने की पूर्ण संभावना है इसलिए विपक्षी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से

सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

Scanned by CamScanner

पाबंद किये जाने हेतु यह प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत है। ग्राम दुगार पटवार हल्का दुगार तहसील बेगूँ में मृतक रूपकंवर पत्नी स्व0 लालसिंह जी राजपूत के नाम अंकित खसरा संख्या 1449/127 रकबा 0.57 हे0 , 1450/126 रकबा 0.41 हे0 1476/132 रकबा 0.41 हे0, 1677/133 रकबा 0.08 हे0 कुल किता 4 व कुल रकबा 1.47 हे0 भूमि स्थित है , यह भूमि वर्तमान में गैर खातेदारी हक से अंकित है कि उक्त वर्णित भूमि स्व0 लालसिंह जी को जरिये मि0न0 2/83 दिनांक 10.10.1983 को आवंट्ति हुई है एवं आंवटन पश्चात प्रथम नामान्तरण संख्या 310 दिनांक 03.12.1983 प्रमाणित हुआ तथा लालसिंह जी की मृत्यु पश्चात यह भूमि उनकी पत्नी स्व0 रूपकंवर के नाम नामान्तरित हुई जो जरिये नामान्तरण संख्या 787 दिनांक 21.06.2000 को हुआ है। वाद वर्णित भूमि दिनांक 10.10. 1983 को लालसिंह जी की आवंट्ति होने से एवं स्व0 लालसिंह द्वारा प्रीमीयम एवं बकाया समस्त लगान की राशि समय पर चुकता कर दिये जाने से लालसिंह जी ने सन् 1993 मे ही अर्थात आंवटन के 10 वर्ष पूर्ण होते ही इस भमि के कानूनन खातेदार काश्तकार हो चुके थे, लेकिन राजस्व रेकार्ड में राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही के कारण लालसिंह जी को खातेदारी अधिकार नही दिये गये, यह मात्र राजस्व कर्मचारियों की तकनिकी भूल एवं चूक है। कानूनन लालसिंह खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी हो चुका था एवं उसे खातेदार ही माना जाना चाहिए। लालसिंह की मृत्यु उपरान्त उनकी विधवा श्रीमति रूपंकवर के नाम पर यह भूमि नामान्तरित हुई हे जो जरिये नामान्तरण संख्या 787 दिनांक 21.06.2000 को प्रमाणित हुई है।

आवंटन दिनांक 10.10.1983 से लगातार रूपकंवर की मृत्यु दिनांक 14.01.2011 तक अर्थात 28 वर्ष तक वाद वर्णित भूमि का गैर खातेदरी के रूप में रहना एक बहुत बडी भूल है। एवं मृतक लालसिंह एवं मृतक रूपकंवर कानूनन इस भूमि के खातेदार हो चुके थे जिन्हे इस भूमि का खातेदारी ही माना जाना चाहिए रेवेन्यु रेकार्ड में अंकन के अभाव में किसी भी व्यक्ति के अधिकारो का हनन नही किया जा सकता है। स्व0 लालसिंह जी के नाम भूमि आंवट्ति होने से यह उनकी स्वअंर्जित सम्पत्ति है एवं लालसिंह जी की पत्नी स्व0 रूपकंवर के अपना कोई पुत्र एवं पुत्री नही होने से रूपकंवर को अपनी भमि की वसीयत करने का कानूनन अधिकार प्राप्त था । स्व0 श्रीमति रूपकंवर ने दिनांक 23.10.2006 को वाद वर्णित भमि की वसीयत वादी नारायणसिंह पिता लक्ष्मणसिह राजपूत के पक्ष में निष्पादित की है एवं वसीयत पर अपने हस्ताक्षर साक्षीयों के सामने किये है वसीयत रूपकंवर ने चित्तौड़गढ न्यायालय में जाकर स्टाम्प क्रय कर निष्पादित की थी एवं नोटेरी पब्लिक से इस वसीयत को प्रमाणित कराई है जो अंसदिग्ध होकर वास्तविक है व जिनाइन दस्तावेज है श्रीमति रूपकंवर की किला बैगूँ के प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत अंत तक किसी ने भी सेवा चाकरी

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

Scanned by CamScanner

नही की जिससे दुखी होकर रूपकंवर वादी के पास चेनपुरिया चली गई एवं मृत्यु पर्यन्त वही पर रही तथा उसने अपनी सेवा से प्रसन्न होकर ही वाद वर्णित अपनी भूमि की वसीयत वादी के पक्ष में निष्पादित की है। श्रीमती रूपंकवर ग्राम चैनपिुरिया के ही श्री नाहरसिंह जी की पुत्री थी, उनके एक भाई का नाम गुमानसिंह था जिनके पुत्र लक्ष्मणसिंह होकर पुत्र वादी है इस प्रकार मृतक रूपकंवर वादी की बुआ लगती थी एवं वादी रूपकंवर के मेटरनल परिवार का सदस्य होने से रूपकंवर वादी के पक्ष में वसीयत निष्पादित की है। इस प्रकार प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध है। रूपकंवर का दिनांक 14.01.2011 को ग्राम चेनपुरिया में ही निधन हो जाने के कारण वादी इस भूमि का वसीयत के आधार पर खातेदारी काश्तकार होने का वैध रूप से अधिकारी हो चुका है। श्रीमती रूपकंवर के देहावसान के साथ ही वादी/प्रार्थी वाद वर्णित भूमि पर काबिज हो चुका है। कब्जा भूमि पर प्रार्थी का है प्रार्थी ने उक्त वर्णित भूमि को वसीयत के आधार पर नामान्तरित करने हेतु नायब तहसीलदार साहब पारसोली के समक्ष उपस्थित होकर दिनांक 27.12.2011 को अपना आवेदन प्रस्तुत कर वसीयत के आधार पर वाद वर्णित भूमि को अपने नाम पर नामान्तरित किये जाने की प्रार्थना की है लकिन प्रतिवादी संख्या 1 रामसिंह पिता दौलतसिंह ने भी एक प्रार्थनापत्र उपतहसीलदार साहब पारसोली के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत किया है कि रूपकंवर के हम प्रतिवादी संख्या 1,2,3 व 4 वारिस है तथा रूपकंवर के पति लालसिंह जी के भाई के लडके-लड़की है इसलिए इस भूमि का विरासत का नामान्तरण हमारे नाम पर अंकित होना चाहिए। उपतहसीलदार साहब परसोली द्वारा अभी तक नामान्तरण प्रकिया सम्पन्न नही की है एवं तहसीलदार के द्वारा भी इस संबंध में कोई कार्यवाही नही की गई है। इसलिए वाद/प्रार्थी द्वारा यह वादपत्र अपने अधिकारो की स्थापना के लिए न्यायालय श्रीमान आपके समक्ष वादपत्र प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता हुई है। यदि प्रतिवादीगण के नाम पर नामान्तरण तस्दीक किया जाता है तो प्रार्थी को भारी अपूरणीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन अर्थ में किया जाना संभव नही होगा। प्रार्थी उक्त वर्णित आराजीयत पर श्रीमति रूपकंवर की मृत्यु दिनांक 14.01.2012 से ही काबिज होकर शांतिपूर्वक काश्त कर रहा है इसके विपरीत विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने पर कोई हानि नही होगी इस प्रकार सुविधा सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम दुगार पटवार हल्का दुगार तहसील बेगूँ में मृतक रूपकंवर पत्नी स्व0 लालसिंह जी राजपूत के नाम अंकित खसरा संख्या 1449/127 रकबा 0.57 हे0, 1450/126 रकबा 0.41 हे0 1476/132 रकबा 0.41 हे0, 1677/133 रकबा 0.08 हे0 कुल किता 4 व कुल रकबा 1.47 हे0 भूमि जिस प्रार्थी मृतक रूपकंवर की मृत्यु दिनांक

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

Scanned by CamScanner

14.01.2012 से ही वसीयत के आधार पर काबिज है उकत भूमि प्रार्थी के खातेदारी में घोषित हो जाने तक विपक्षीगण उक्त भूमि का नामान्तरण अपने नाम पर कराने की कार्यवाही नही करे एवं प्रार्थी के कब्जे शुदा आरीज के उपयोग-उपभोग में किसी प्रकार की दखलअंदाजी ना तो स्वयं ना ही अपने किसी नौकर, एजेन्ट, रिश्तेदार आदि से करावे।

प्रार्थना-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगर्णो को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण की ओर से जवाब प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत इस प्रकार किया गया कि - लालसिंह जी द्वारा समस्त प्रीमियम जमा कराने एवं उनकी मृत्यु उपरांत भूमि श्रीमती रूपकंवर के नाम दर्ज होने के तथ्य सही होकर स्वीकार है किन्तु भूमि गैर खातेदारी की ही है। एवं जब तक विधि अनुसार प्रकिया अपना कर सक्षम प्राधिकारी द्वारा खातेदारी अधिकार प्रदत्त नही कर दिये जाते है तब तक भूमि खातेदारी की नही मानी जा सकती है। स्वतः खातेदारी प्राप्त होने कोई प्रावधान कानून में नही है। भूमि लालसिंह जी को आंवट्ति हुई जो रूपकंवर जी की स्वअर्जित नही मानी जा सकती है। साथ ही गैर-खातेदारी में दर्ज रहते एवं विधि प्रावधाननुसार खातेदारी अधिकार प्रदत्त नही होने तक भूमि गैर-खातेदारी की ही रहती है एवं गैर-खातेदारी की भूमि की वसीयत कानूनन प्रतिबंधित है जिससे रूपंकवर जी को भमि वसियत करने का कोई अधिकार नही था। विपक्षीगण ही मृतक रूपकंवर के विधिक एवं वैध वारिस है एवं भमि गैरखातेदारी की होने से न तो वसियत हो सकती है एवं न ही रूपकंवर ने कोई वसियत ही की है, वसियत फर्जी एवं बनावटी होकर प्रार्थी ने नाजायत लाभ प्राप्त करने के लिए कूट रचित तैयार करवायी है। विपक्षीगण ही विवादित आराजियात के मालिक स्व0 रूपकंवर की मृत्यु उपरांत कानूनन बनते है जिससे प्रार्थना-पत्र प्रार्थी प्रथम दृष्ट्या ही निरस्त होने योग्य है। नामान्तरण की कार्यवाही दोनो पक्षो के आवेदन पर सयुंक्त विचारण के रूप में लम्बित है जो विधिक कार्यवाही होकर कानूनन इसे रोका नही जा सकता है। साथ ही भूमि के वास्तविक स्वामी मृतक लालसिंह के सगे भाई दौलतसिंह के वारिसान विपक्षीगण होकर कानून विधिक वारिस है जिनके विरूद्ध किसी तरह की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। भूमि पर प्रार्थी का कोई कब्जा काश्त नही है।

अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी सव्यय निरस्त फरमाया जावे।

इसी तरह इसके विपरित विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अधिवक्ता श्री के.सी. मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसमें प्रार्थीगण रामसिंह पिता दौलतसिंह राजपूत निवासी बेगूँ तहसील बेगूं, किसन कंवर पुत्री दौलतसिंह राजपूत निवासी बेगूँ तहसील बेगूँ, नारायणसिंह पिता स्व0 मोखमसिंह राजपूत निवासी

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

Scanned by CamScanner

सुवाणिया, धन कंवर पिता मोखमसिंह राजपूत निवासी बेगूँ जिला चित्तौड़गढ है तथा अप्रार्थी नारायणसिंह पिता लक्ष्मणसिंह राजपूत निवासी चैनपुरिया तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ है।

प्रार्थनापत्र के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की ओर से उक्त अनवान एक वाद पत्र वास्ते घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत किया जो ठेस तथ्यो पर आधारित होने से प्रार्थीगण को पूर्ण विश्वास है कि प्रार्थीगण के पक्ष में वाद डिक्री होगा किन्तु उसके निस्तारण में समय लगेगा जिसके वादपत्र के अंतिम निस्तारण तक के लिए विपक्षी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने हेतु यह प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत है- मोजा दुगार पटवार हल्का दुगार तहसील बेगूँ की वर्तमान जमाबंदील खतौनी संवत् 2069-71 खाता संख्या 476 में श्रीमति रूपकंवर बेवा लालसिंह राजपूत सा0 बेगूँ गैरखातेदार के रूप में निम्नलिखित आराजियात अंकित स्थित है-

आराजी संख्या	रकबा हे0
1449/127	0.5700
1451/126	0.4100
1676/132	0.4100
1677/133	0.0800
योग किता- 4	कुल रकबा 1.4700 हे0

उक्त खातेदार श्रीमती रूपकंवर बेवा लालसिंह के नाम यह भूमि स्व0 लालसिंह पिता उदयसिंह जी राजपूत की विरासत से दर्ज रेकार्ड हुई है, लालसिंह जी को यह भूमि वर्ष 1983 में आवंटन हुई थी। लालसिंह जी हम वादी कमांक 1 व 2 के काका, वादी कमांक 3से 5 व प्रतिवादी संख्या 2 से 5 के छोटे दादाजी थे

उक्त वर्णित आराजीयात रूपकंवर के नाम गैरखातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड होकर रूपकंवर की मृत्यु हो जाने से हिन्दु अत्तराधिकार कानून एवं उक्त सजरानुसार विरासत से इस भूमि को प्रार्थीगण/वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 5 अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारी है मौके पर भी वादीगण ही काबिज हो काश्त कर रहे है। प्रार्थीगण ने उक्त भूमि को अपने नाम जरिये विरासत दर्ज करने हेतु प्रार्थना-पत्र तहसीलदार साहब बेगूँ के यहा प्रस्तुत किया जिसमें विपक्षी संख्या 1 ने भी मृतक रूपकंवर की तथाकथित फर्जी एवं कूट रचित वसीयत प्रस्तुत कर भूमि को अपने नाम दर्ज करने हेतु आपत्ति दर्ज कराई, दोनो पक्षों के प्रार्थना-पत्र पर संयुक्त कार्यवाही लम्बित है एवं एक तरह से प्रकरण में बिना किसी विधिक प्रकिया के कार्यवाही ड्राप कि हुई है, दिनांक 17.09.2012 के पश्चात कोई प्रोसिंडिंग ड्रा नही की गई

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

Scanned by CamScanner

है। विपक्षी संख्या 1 ने उक्त वर्णित आराजीयात गैर खातेदारी में दर्ज होते हुए स्वतः खातेदारी अधिकार प्रदत्त हो जाना बता भूमि को जरिये विरासत अपने नाम दर्ज कराने का वाद न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत कर रखा है, जबकि कानून में स्वतः खातेदरी अधिकार प्राप्त हो जाने के कोई प्रावधानन नही है एवं गैर खातेदारी की भूमि की वसीयत किया जाना भी कानूनन प्रतिबंधित है, जिससे विपक्षी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत वाद एवं प्रार्थना-पत्र स्वतः निष्प्रभावी एवं प्रार्थीगण के अधिकारो के मुकाबले शुन्य है। इस प्रकार प्रार्थीगण का प्रकरण प्रथम दृष्ट्या सिद्ध है। प्रार्थीण इस उम्मीद में थे कि कानूनन भमि जब प्राथीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 5 के नाम स्वतः विरासत कार्यवाही से तहसीलदार साहब के यहा से ओदश होकर आनी है, तो प्रार्थीगण ने पृथक से भमि को अपने नाम दर्ज कराने बाबत् कोई कार्यवाही नही कि, किन्तु जब प्रार्थीगण ने दिनांक 27.10.2015 को तहसीलदार साहब को जाकर विरासत प्रकरण में कार्यवाही बाबत कहा तो उन्होने इस आराजयात से सम्बन्धित वाद न्यायालय श्रीमान में लम्बित होने से प्रकरण में कार्यवाही करने से इंकार कर दिया जिससे एवं विपक्षी संख्या 1 द्वारा दिनांक 14.11.2015 को प्रार्थीगण को भूमि पर आने जाने से प्रार्थीगण को यह प्रार्थना-पत्र अपने विधिक अधिकारों की रक्षा हेतु वास्ते अस्थाई निषेधज्ञा न्यायालय में श्रीमान में प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई है। यदि विपक्षी संख्या 1 ने उक्त भमि पर जबरन कब्जा कर लिया या प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी तरह की दखलअंदाजी कि तो प्रार्थीगण को भारी अपूर्तनीय हानि होगी एवं दोनो पक्षो के मध्य मुकदमें बाजी बढेगी, भूमि से विपक्षी संख्या 1 का कोई विधिक सम्बन्ध नही होने से सुविधा संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। न्यायहित में विपक्षी संख्या 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना अति आवश्यक है।

अतः न्यायालय श्रीमान से प्रार्थना है कि विपक्षी संख्या 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक विपक्षी को पाबंद फरमाया जावे कि उक्त वग्रित आराजियात में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलअंदाजी न तो स्वयं करें एवं न ही अपने किसी नौकर, ऐजेण्ट, रिश्तेदार आदि से करावे।

प्रार्थना-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षी को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी कि ओर से जवाब अधिवक्ता श्री सी.पी. शर्मा द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जो इस प्रकार है- प्रार्थनापत्र में वर्णित भूमि मृतक रूपकंवर एवं स्व0 लालसिंह जी को खातेदारी अधिकारी प्राप्त करने के कानूनन अधिकारी हो चुके थे, क्योकि स्व0 लालसिंह जी ने आंवटन की समस्त शर्तो की पालना के साथ साथ भमि की समस्त किश्तो की राशि भी समय समय पर जमा कराई थी। भूमि सन 10.10,1983 को स्व0 लालसिंह जी के नाम पर आंवटित हुई एवं श्रीमती रूपकंवर का देहान्त 14.01.2011

सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) ... (सीतापुरगढ)

Scanned by CamScanner

को हुआ, कोई भी भूमि 28 वर्षो तक गैर खातेदारी में नही चल सकती है। स्व0 लालसिंह को खातेदारी राजस्व अधिकारियो की प्रकियात्मक गलती से प्राप्त नही हो की थी। प्रार्थना-पत्र में वर्णित सजरा गलत दर्शाया है। प्रार्थीगण एवं पिक्षी संख्यसा 2 से लागयत 5 को यह भमि उत्तराधिकार कानूनन के तहत प्राप्त करेन का कोई विधिक व कानूनी अधिकार प्राप्त नही है क्योकि यह भमि मुझ विपक्षी को जरिये वसीयत प्राप्त हुई है। इस भूमि पर कब्जा भी मुझ विपक्षी का होकर लगातार व शांतिपूर्वक चला आ रहा है। मुझ विपक्षी ने प्रार्थना-पत्र माननीय उप तहसीलदार साहब परसोली के समक्ष प्रस्तुत किया था जिसे तहसीलदार साहब बेगूँ के यहा पर ट्रंसफर किया गया, उपतहसीलदार साहब पारसोली ने प्रकरण पर पटवार हल्का से जांच भी कराई थी। तत्पश्चात मुझ विपक्षी ने एक नियमति वाद बाबत घोषणा का सक्षम न्यायालय आप के समक्ष दिनांक 22.06.2012 को प्रस्तुत कर दिया, जिसमें स्वयं तहसीलदार साहब भूमिधारी भी पक्षकार है। नियमित वाद प्रस्तुत हो जाने के पश्चात तहसीलदार साहब के समक्ष कोई कार्यवाही नामान्तरण बाबत नही चल सकती हैं व कार्यवाही स्वतः निप्रभवी है। उक्त वाद में वादी/प्रार्थीण -प्रतिवादीगण/विपक्षी सभी पक्षकरा है मुझ विपक्षी के पक्ष में निष्पादित वसीयतपत्र पूर्णतः सही होकर सत्य है। मृतक रूपकंवर ने स्वेच्छा से मुझ विपक्षी की सेवा सुश्रुषा से प्रसन्न होकर वसीयत की है जो कानूनी रूप से सही है चुकि यह भूमि का आंवटिती स्व0 लालसिंह को दिनांक 10.10.1983 में भमि का आवंटन हुआ है स्व0 लालसिंह ने आंवटन की समस्त शर्तो की पालना करते हुए भमि पर लगातार कृषि की है तथा भमि की किश्ते भी समय समय पर पूर्ण रूप से जमा करा दी थी, कॉलोनाईजेशन अधिनियम के तहत आंवटन की शर्तो की पालना होने की स्थिति में आवंटनकर्ता स्वयं खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का स्वतः अधिकारी हो चुका था, प्रकियात्मक कमी की वजह से भूमि खातेदारी में दर्ज नही हो सकी, क्योकि कमाण्ड एरिया में गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रकियात्मक कारणों से रोके थे परन्तु कानूनी रूप से स्वतः खातेदरी का अधिकारी आवंटनकर्ता प्राप्त कर चुका था उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी रूपकंवर को विरासत से भमि प्राप्त हुइ रूपकंवर विपक्षी की बुआ लगती थी। उसकी सेवा सुश्रुषा से प्रसन्न होकर उन्होने मुझ विपक्षी को वसीयत की है। जो कानूनी रूप से सही है। प्रार्थीगण ने स्व0 लालसिंह जी व स्व0 रूपकंवर की कभी सेवा भी नही की है। उनकी कभी वृद्धास्था में सार संभाल भी नही की थी। वे दोनो हमेशा से ही विपक्षी के पास ही रहे थे। जब नियमित वादपत्र प्रार्थीण एवं विपक्षी के मध्य में सक्षम न्यायालय में बाबत घोषणा दिनांक 22.06.2012 को ही प्रस्तुत हो चुका है तो कानूनन नामान्तरण की कार्यवाही किया जाना न्यायोचित नही होता है क्योकि सक्षम न्यायालय को अंतिम आदेश की पालना की जानी होती है नामान्तरण की कार्यवाही वादपत्र के दौरान चलाया जाना न्याय के विरूद्ध है इसलिए

(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

Scanned by CamScanner

तहसीलदार साहब बेगूँ ने न्यायोचित रूप से नामान्तरण कार्यवाही नही करके न्यायोचित कार्य किया है प्रार्थीगण ने गलत व खिलाफ काननून प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है जो चलने योग्य नही है भूमि पर कब्जा विपक्षी का है। अतः न्यायालय श्रीमान से प्रार्थना है कि विपक्षी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र जवाब प्रार्थना-पत्र स्वीकार फरमाया जावे एवं प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को सव्यय निरस्त फरमाया जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

उक्त प्रार्थना-पत्र जवाब प्रस्तुत होने पर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई इस दौरान प्रार्थना- संख्या 37/2012 उनवान नारायणसिंह बनाम रामसिंह वगे0 में दिनांक 25.11.2017 को न्यायालय आदेशानुसार "इस प्रार्थनापत्र के साथ न्यायालय में विचाराधीन प्रार्थना-पत्र संख्या 165/2015 व अनवान रामसिंह बनाम नारायणसिंह अन्तगत धारा 212 आ0टी0ए0 को संलग्न करने का आदेश हुआ है। प्रार्थना-पत्र 165/15 को इस प्रार्थना-पत्र पत्रावली के साथ समेकित कर दोनो पत्रावली में एक साथ बहस हेतु पत्रावली दिनांक 13.02.2017 को पेश हो "

इस प्रकार उक्त दोनो पत्रावलियें को समेकित किया जाकर एक साथ बहस हेतु रखी गई । प्रार्थना-पत्र पर बहस की गई । विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पर ध्यानपुर्वक मनन किया गया।

प्रार्थना-पत्र का सक्षिप्त तथ्य यह है कि ग्राम दुगार पटवार हल्का दुगार तहसील बेगूँ में स्व0 श्री लालसिंह पिता उदयसिंह राजपूत निवासी किला बेगूँ को मि. न. 02/83 दिनांक 10.10.1983 को उक्त वर्णित भूमि आवंटित हुई थी। आवंटन के पश्चात प्रथम नामान्तरण संख्या 310 दिनांक 03.12.1983 प्रमाणित हुआ। लालसिंह की मृत्यु के पश्चात यह भूमि उनकी पत्नी स्व0 रूपकंवर के नाम पर रूपान्तरित हुई जो जरिये नामान्तरण संख्या 787 दिनांक 21.06.2000 को हुआ। वर्तमान जमाबंदी में यह रूपकंवर बेवा लालसिंह राजपूत सा. देह गैर खातेदार आराजी नम्बर 1449/127 रकबा 0.57 हे0, 1450/126 रकबा 0.41 हे0, 1476/132 रकबा 0.41 हे0, 1677/133 रकबा 0.08 हे0 कुल किता 4 व कुल रकबा 1.47 हे0 गैर खातेदार दर्ज है। रूपकंवर पत्नी एवं लालसिह द्वारा यह भूमि जरिये वसीयत द्वारा नारायणसिंह पिता लक्ष्मणसिंह जाति राजपूत के नाम वसीयत कर दी जिसको नोटरी द्वारा प्रमाणित की गई।

प्रार्थी नारायणसिंह कि ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सी.पी.शर्मा द्वारा अपनी बहस में बताया कि उक्त भूमि के आवंटन के पश्चात आंवटन कीमत निर्धारित समय पर जमा कर दी गई। विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि कोलोनाइजेशन अधिनियम 1904 के अनुसार कमाण्ड क्षेत्र में भूमि आवंटन की निर्धारित प्रीमीयम राशि ली जाती है जो हमारे द्वारा निर्धारित समय में जमा करा दी गई। निर्धारित समय पर प्रीमीयम राशि जमा करने व

Scanned by CamScanner

आवंटन शर्तो का पालन करने पर रूपकंवर स्व0 श्री लालसिंह ने अपने एक हिस्से की कब्जे काश्त वाली भूमि का अपने भाई के लड़के को वसीयत कर दी जिसको इनके द्वार नोटरी से प्रमाणित कर दी गई। यह वसीयतनामा 23.10.2006 को प्रमाणित किया गया। अधिवक्ता श्री सी.पी.शर्मा द्वारा बताया गया कि आर.आर.टी.-2016 राजस्व कर्मचारियों का कर्तव्य है कि आवंटन शुल्क (प्रीमीयम) जमा होने के बाद स्वतः ही खातेदारी अधिकार मिल जाते है। इस भूमि पर गैर-खातेदार लालसिंह जिसको भूमि आवंटित हुई थी। दिनांक 04.03.1998 को अपनी अंतिम किश्त जमा करा दी थी। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में बताया कि अंतिम किश्त जमा करा देने के बाद स्वतः खातेदरी अधिकार प्राप्त हो जाते है। इसी खातेदरी अधिकार के तहत रूपकंवर स्व0 लालसिंह ने अपनी भूमि को अपने भतीजे के नाम वसीयत कर दी। उन्होने यह भी बताया की राजस्थान कोलोनाइजेशन अधिनियम 1954 की धारा 13 जिसको संशोधित कर 13(क) में परिवर्तित कर दिया जिसमें राजस्थान कोलोनाइजेशन अधिनियम की धारा 13 जहां लागू होती है। वहा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 39 लागू नही होती है।

बहस में अप्रार्थी रामसिंह कि ओर से अधिवक्ता श्री के.सी.मंत्री ने बताया कि रूपकंवर को यह भूमि अपने पति के फौत होने के बाद जरिये नामान्तरण प्राप्त हुई। रूपकंवर के पति स्व0 लालसिंह को यह भूमि आवंटित हुई थी। उक्त विवादित भूमि वर्तमान में गैर-खातेदार है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 39 के अनुसार केवल " खातेदार अभिधारी ही वसीयत कर सकता है। अन्य अभिधारी वसीयत नही कर सकेगें। अप्रार्थी अधिवक्ता श्री के.सी. मंत्री में अपनी बहस में बताया कि किसी व्यक्ति को भूमि आंवटन के बाद वह गैर-खातेदार दर्ज होता है। कोई गैर-खातेदार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 39 के अनुसार अपनी भूमि को वसीयत नही कर सकता है। आवंटन शर्तो की पालना करने के पश्चात सक्षम प्राधिकारी द्वारा जांच की जाकर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाते है। उन्होने बताया कि जब तक सक्षम अधिकारी द्वारा खातेदारी अधिकार नही दिये जाते है तब तक वह गैर-खातेदार माना जायेगा चुकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 39 के अनुसार गैर-खातेदार की वसीयत कर अंतरण प्रारम्भ से ही शुन्य है।

विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा पेश की गई विभिन्न नजीरों का अवलोकन एवं अध्ययन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया।

प्रार्थी नारायणसिंह द्वारा पेश किया गया प्रार्थना-पत्र 37/2012 एवं प्रार्थी रामसिंह द्वारा पेश किया गया प्रार्थना-पत्र 165/2015 जिसको न्यायालय द्वारा समेंकित किया गया। दोनो प्रार्थन-पत्र एवं प्रस्तुत जवाबों पर मनन किया गया सम्पूर्ण पत्रावली का अध्ययन किया गया।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

Scanned by CamScanner

हमने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा- 39 आवंटन नियम का भी अवलोकन किया एवं साथ ही कोलोनाइजेशन अधिनियम की धारा 13 व संशोधन का भी अध्ययन किया।

प्रार्थना-पत्र 165/2015 रामसिंह बनाम नारायणसिंह में प्रार्थी रामसिंह एवं अन्य उक्त भूमि के द्वितीय श्रेणी वारिस है। गैर-खातेदार रूपकंवर बेवा लालसिंह राजपूत के प्रथम श्रेणी का कोई वारिसान नही है। वर्तमान में उकत वर्णित आराजी गैर-खातेदार के रूप में रिकार्ड में दर्ज है। गैर-खातेदार को अपनी भूमि को आवंटन के पश्चात निर्धारित प्रीमीयम रशि जमा करा देने के बाद पटवारी व भू-अभिलेख निरीक्षक की कब्जे काश्त की रिपोर्ट एवं गिरदावरी के अनुसार तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर खातेदारी मिलते है। अप्रार्थी नारायणसिंह को रूपकंवर द्वारा वसीयत की गयी थी। रूपकंवर को या आवंटी स्वयं लालसिंह को उक्त वर्णित भूमि को सक्षम अधिकारी से खातेदारी अधिकार प्राप्त करने थे। खातेदार अधिकार प्राप्त करने के बाद उक्त भूमि को वसीयत किया जा सकता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 39 के अनसुार केवल मात्र खातेदार ही अपनी भूमि को वसीयत कर सकता है।

अतः प्रार्थना-पत्र 165/2015 रामसिंह बनाम नारायणसिंह में प्रार्थी रामसिंह व अन्य द्वितीय श्रेणी के वारिसान होने के कारण मामला प्रथम दृष्ट्या प्रार्थी रामसिंह व अन्य के पक्ष में है। अगर अप्रार्थी नारायणसिंह द्वारा उक्त भूमि को हस्तानान्तरण करने से अपूर्णीय क्षति प्रार्थी को ही होगी। सुविधा व संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। अतः समेकित प्रार्थना-पत्र 165/2015 व 37/2012 में वाद निस्तारण तक रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखना उचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः उभयपक्ष को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता कि वे वाद निस्तारण तक प्रार्थना-पत्र 165/2015 एवं 37/2012 में वर्णित विवादित आराजी मोजा दुगार पटवार हल्का दुगार तहसील बेगूँ की वर्तमान जमाबंदी संवत् 2069-71 खाता संख्या 476 में अंकित आराजी संख्या 1449/127 रकबा 0.57 हे0, 1450/126 रकबा 0.41 हे0, 1476/132 रकबा 0.41 हे0, 1677/133 रकबा 0.08 हे0 कुल किता 4 व कुल रकबा 1.47 हे0 भूमि की राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

आदेश आज दिनांक 05 दिसम्बर, 2019 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला-चित्तौड़गढ़

8/12/19

(रमेश चन्द्र पुनाडिया)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
बेगूँ

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

Scanned by CamScanner